

अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

श्री मती पत्नी श्री कौलाश चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं० 1051 महावीर  
नगर प्रधन कोटा जिला कोटा



.....वादनी

♠ बनाम ♠

सत्यमेव जयते

1. पुष्प चन्द पुत्र } भवरिया जाति माली निवासीगण भगवानपुरा बोहत तह० मांगरोल जिला  
2. मूली बाई पुत्री } बारां  
3. सुगना बाई पुत्री }  
4. राम चरण पुत्र } मन्नलाल जाति माली निवासीगण भगवानपुरा बोहत तह० मांगरोल जिला  
5. कस्तूरी बेवा } बारां  
6. रामनारायण पुत्र } सरया उर्फ श्रीलाल जाति माली निवासीगण भगवानपुरा बोहत  
7. गोरूलाल पुत्र }  
8. केसर पुत्री }  
9. लक्ष्मण पुत्र } नाथ्या उर्फ नाथूलाल जाति माली निवासीगण भगवानपुरा बोहत  
10. राजेन्द्र पुत्र }  
11. छीतरलाल पुत्र }  
12. मेहनलाल पुत्र }  
13. जमनालाल पुत्र } हरबख्शा जाति माली निवासीगण भगवानपुरा बोहत तह० मांगरोल  
14. बंशीलाल पुत्र }  
15. चमेली बाई पुत्री }  
16. प्रेम बाई पुत्री }  
17. प्रभुलाल पुत्र } गणेश जाति माली निवासी भगवानपुरा बोहत तह० मांगरोल  
18. गोरधन पुत्र }  
19. बिरधा पुत्र }  
20. रामप्रताप पुत्र } गोरधन जाति माली निवासी भगवानपुरा बोहत तह० मांगरोल जिला बारां  
21. सन्तोष बाई पुत्री }  
22. अनीता बाई पुत्री }

20. कल्याण पुत्री गोखन जाति माली निवासी भगवानपुरा बोहत तह0 मांगरोल जिला बारां
21. मूली बई पत्नी श्री जगदीश माली निवासी भगवानपुरा बोहत तह0 मांगरोल
22. किशनलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल माली निवासी भगवानपुरा बोहत, मांगरोल
23. कल्याणी पत्नी देवलाल जाति माली निवासी भगवानपुरा बोहत मांगरोल
24. राज्यस्वाम सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट**

पैदाशीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादनी : श्री मनोज कुमार आर्य

वाद दिनांक: 22.01.2018

निर्णय दिनांक : 25.06.2018

प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल द्वारा सुनाये गये निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.06.2018 की पालना में व प्रकरण संख्या 6/2018 एवं 7/2018 के वादी और प्रतिवादीगण समान है एवं वादनी ने दोनो वाद पत्रो को सम्मिलित कर एक साथ सुनने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है एवं दोनो वाद पत्र क्रमशः 6/2018 व 7/2018 को सम्मिलित कर बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु तहसीलदार मांगरोल को निर्देशित किया है। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/18/35 दिनांक 25.06.2018 से ग्राम बोहत की आराजी खसरा नं0 1500 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 1501 रकबा 0.32 है0 खसरा नं0 1502 रकबा 0.27 है0 खसरा नं0 1503 रकबा 0.26 है0 खसरा नं0 1504 रकबा 0.75 है0 खसरा नं0 1676 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 1695 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 1833 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 1857 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 1858 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 1862 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1872 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 1873 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 1857 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 1858 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 1862 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1872 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 1873 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 1888 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 1890 रकबा 0.16 है0, 2973 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 2983 रकबा 0.44 है0, खसरा नं0 2985 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 2987 रकबा 0.70 है0, खसरा नं0 2988 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 2989 रकबा 0.66 है0, खसरा नं0 2990 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 2991 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 2992 रकबा 3.27 है0, खसरा नं0 2994 रकबा 2.90 है0 किता 25 रकबा 11.39 है0 में सहखातेदार पल्लवी शर्मा पत्नि कैलाश चन्द्र शर्मा हिस्सा 1/6 जाति ब्राहमण निवासी महावीर नगर कोटा एवं ग्राम भगवानपुरा की आराजी खसरा नं0 30 रकबा 0.88 है0 कुल किता 6 रकबा 11.21 है0 में सहखातेदार पल्लवी शर्मा पत्नि कैलाश चन्द्र शर्मा हिस्सा 1/6 जाति ब्राहमण निवासी महावीर नगर कोटा हिस्सा 1/9 का वादनी के कब्ज काष्ठ अनुसार बंटवारा प्रस्ताव चाहा गया है ग्राम बोहत की खाता संख्या 411 कुल किता 25 रकबा 11.39 है0 हिस्सा 1/6 व ग्राम भगवानपुरा की खाता संख्या 130 कुल किता 6 रकबा 11.21 है0 में हिस्सा 1/2 में वादनी पल्लवी शर्मा का कब्जा काष्ठ अनुसार बंटवारा प्रस्ताव निम्न प्रकार है।

ग्राम भगवानपुरा:-

ग्राम भगवानपुरा की आराजी खसरा नं0 30/0.88, 35/1.02, 38/0.91, 39/0.67, 510/4.90, 513/2.83 कुल किता 6 रकबा 11.21 है0 में वादनी का हिस्सा 1/9 दर्ज है लेकिन ग्राम भगवानपुरा की

वादनी का खेती का बिल्कुल भी कब्जा कायम नहीं है एवं वादनी ग्राम भगवानपुरा की आराजी में से अपना खेती का जो हिस्सा है ग्राम भगवानपुरा की आराजी में वादनी का जो हिस्सा बनता है उसका कब्जा वादनी में ग्राम बोहत में प्राप्त कर रखा है। ग्राम भगवानपुरा का खाता निम्न प्रकार रहेगा:-

पुष्पचन्द्र पुत्र भंवरिया सुगना भूली पुत्रियां भंवरिया हिस्सा 210/1121 ललता बाई पुत्र पुष्पचन्द्र हि० 70/1121 छीतरलाल राजेन्द्र पुत्र नाथू हिस्सा 105/1121 दोली बाई पत्नि चौथमल हिस्सा 105/1121 मोहनलाल जमनालाल बंशीलाल पुत्र हरबक्श चमेली बाई प्रेम बाई पुत्रियां हरबक्श हिस्सा 210/1121 प्रभु गोरधन बिरधा पुत्र गणेश हिस्सा 210/1121 रामनारायण गौरूलाल पुत्र श्रीलाल ललावती पुत्र मन्नालाल हि० 211/1121 जाति माली सा० बोहत रहन बदस्तूर रहेगा कुल किता 6 रकबा 11.21 हि० लगान 358.72

ग्राम बोहत:-

वादनी पल्लवी शर्मा पत्नि कैलाश चन्द्र जाति ब्राहमण सा० महावीर नगर कोटा खसरा नं० 2994 रकबा 2.90 हि० लगान 20.30 खसरा नं० 2992 रकबा 0.25 है० दक्षिणी पश्चिमी कोना लगान 1.75 किता 2 रकबा 3.15 हि० लगान 22.05

प्रतिवादीगण:-

पुष्पचन्द्र पुत्र मूली सुगना पुत्रियां भंवरिया हिस्सा 170/849 रामचरण पुत्र मन्ना कस्तूरी बेवा मन्ना रामनारायण गौरूलाल पुत्र सरया केसर पुत्री सरया हि० 170/849 लक्ष्मण राजेन्द्र पुत्र नाथ्या हि० 85/849 छीतरलाल पुत्र नाथ्या हिस्सा 14/849 मोहनलाल जमनालाल बंशीलाल पुत्रान हरबक्श चमेली बाई प्रेम बाई पुत्रियां हरबक्श 141/849 प्रभू पुत्र गणेश हि० 57/849 रामप्रताप पुत्र गोरधन संतोष बाई हेमलता बाई अनिता बाई पुत्रियां गोरधन हिस्सा 57/849 बिरधा पुत्र गणेश हिस्सा 34/849 भूली बाई पत्नि जगदीश प्रसाद हि० 23/849 किषनलाल पुत्र कन्हैयालाल हि० 70/849 कलावती पत्नि देवलाल हि० 28/849 जाति माली सा० देह रहन यथावत रहेगा खसरा नं० 1500 रकबा 0.36 है० लगान 11.52 रू०

### किया शील आदेश

तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादनी एवं प्रतिवादीगण के खाते पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मुताबिक तहसीलदार मांगरोल की बंटवारा स्कीम क्रमांक 35 दिनांक 25.06.2018 के अनुसार वादनी पल्लवी शर्मा को ग्राम बोहत की खाता संख्या 411 की खसरा नं० 2994 रकबा 2.90 है० लगान 20.30 रू० खसरा नं० 2992 रकबा 0.25 है० दक्षिणी पश्चिमी कोना लगान 1.75 रू० कुल किता 2 रकबा 3.15 है० लगान 22.65 रू० राजस्व रेकार्ड नाम दर्ज किया जावें। वादनी का अलग से लगान निर्धारित करने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादनी की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें। आदेशानुसार डिक्ली जारी हो। पत्रावली निर्णय से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प बोहत मजमेंआम में सुनाया गया।